न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री के समक्ष

सतिंदर पाल सिंह -याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ -प्रतिवादी।

1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 6730। 26 अगस्त, 1988

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी को विशेष मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय रूप से अयोग्य घोषित किया गया-अपील के समर्थन में मेडिकल बोर्ड-समीक्षा याचिका को मेडिकल बोर्ड ने अनुमति दी और व्यक्ति को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित किया गया-हालाँकि, उम्मीदवार अपील और समीक्षा में बिताई गई अवधि के दौरान नियमों के तहत अधिक उम्र का हो जाना - चिकित्सकीय रूप से फिट होने के बावजूद अधिकारियों ने अधिक उम्र के आधार पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया - इस बीच प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा हो गया - उम्मीदवार - क्या अगले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाना चाहिए - कार्यकारी प्राधिकारी-क्या परिस्थितियों में उम्र के संबंध में नियमों में ढील देने के लिए बाध्य किया जा सकता है।

यह अभिनिर्णीत किया गया है कि उम्मीदवार उस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए प्रतिनियुक्त होने का हकदार है जिसके लिए उसे पहले ही फिट घोषित किया जा चुका है। यदि प्रशासन की अत्यावश्यकताओं में व्यस्तता के कारण अधिकारी समय पर आवश्यक निर्णय नहीं ले सके और इस बीच 43 एस.एस.सी. (एन.टी.) पाठ्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है या लगभग समाप्त हो चुका है, उम्मीदवार को इस कारण से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में, जो कानून के शासन द्वारा शासित होता है, रिट याचिका की रखरखाव या व्यवहार्यता की तकनीकीता को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों की चिंता के अधीन रखा जाना चाहिए, ताकि विषयों में विश्वास की भावना पैदा हो सके। उनके द्वारा मांगा गया न्याय केवल इसलिए विफल नहीं होगा क्योंकि अधिकारियों ने उसे देने में देरी की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भले ही कार्यकारी

अधिकारियों को प्रक्रियात्मक नियमों की तकनीकीताओं में ढील देने के लिए मजबूर किया जाता है, फिर भी ऐसा ही किया जाना चाहिए। एक बार जब सर्वोच्च मेडिकल बोर्ड ने उम्मीदवार को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया, तो नियमों और विनियमों की अन्य सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और तकनीकीताओं को एक संयुक्त प्रयास का रास्ता देना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय को तत्परता से लागू किया गया था।

(पैरा 3).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत रिट याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय इस पर कृपा करें: -

(i) याचिका के अनुबंध पी-3 को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक रिट जारी करें।

(ii) प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को 44वें प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भेजने का निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें।

सतिंदर पाल सिंह बनाम भारत संघ (एम. आर. अग्निहोत्री, जे.)

(iii) कोई अन्य उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

(iv) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर याचिकाकर्ता को कोई अन्य राहत भी दी जा सकती है।

(v) अग्रिम सूचना की सेवा और अनुबंध पी-1 से पी-3 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट दी जा सकती है;

आगे प्रार्थना की गई है कि रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता को अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दी जाए।

पवन बंसल, याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता

आर.एस. चाहर, प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता

निर्णय

न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री,

(1) याचिकाकर्ता सतिंदर पाल सिंह ने मई, 1985 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की, और तदनुसार 43 एसएससी के लिए प्रशिक्षण के लिए सिफारिश की गई। (एन.टी.) पाठ्यक्रम ओ.टी.एस. मद्रास। हालाँकि, जब याचिकाकर्ता की बैंगलोर में विशेष मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सकीय जाँच की गई, तो उसे कान की कुछ छोटी बीमारी के कारण 10 जनवरी, 1986 को चिकित्सकीय रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया। याचिकाकर्ता ने विशेष मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन 20 मार्च, 1986 को आर्मी हॉस्पिटल, दिल्ली कैंट का मेडिकल बोर्ड भी बेंगलुरु के विशेष मेडिकल बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत हो गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने रिव्यू मेडिकल बोर्ड बुलाने के लिए एक समीक्षा याचिका दायर की और रिव्यू मेडिकल बोर्ड ने 17 नवंबर, 1986 को याचिकाकर्ता की जांच करने के बाद उसे चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया। चूंकि, उस समय तक 43 एस.एस.सी. की अवधि समाप्त हो चुकी थी। (एन.टी.) पाठ्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था, चिकित्सा अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को 44 एस.एस.सी. से गुजरने की अनुमति देने का निर्णय लिया। (एन.टी.) पाठ्यक्रम, जो निकट भविष्य में शुरू होने वाला था। लेकिन इसके तुरंत बाद, 26 नवंबर, 1986 को, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को, विवादित संचार (अनुलग्नक पी-3) के माध्यम से बताया, कि चूंकि उसकी जन्मतिथि 18 जून, 1961 थी, इसलिए वह पाठ्यक्रम के लिए पात्र नहीं था - जाहिर तौर पर , विचार यह है कि उन्होंने जून, 1986 में 25 वर्ष की आयु पूरी कर ली थी, और उक्त 44वें पाठ्यक्रम के लिए उनकी आयु अधिक हो जाएगी। इस कार्रवाई से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत प्रतिवादी को उसे एसएससी में प्रवेश देने का निर्देश देने वाला परमादेश रिट जारी करने के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया है। (एन.टी.) पाठ्यक्रम ओ.टी.एस. मद्रास।

(2) भारत संघ की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री आर.एस. चाहर ने रिट याचिका की विचारणीयता के साथ-साथ मामले के गुण-दोष के आधार पर इस न्यायालय से राहत मांगने की उपयुक्तता का कड़ा विरोध किया है। विद्वान वकील के अनुसार, ऐसी कोई भी रिट याचिका सुनवाई

योग्य नहीं है जिसके द्वारा प्रतिवादी को याचिकाकर्ता को पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का निर्देश दिया जा सके और दूसरी बात यह है कि यदि याचिकाकर्ता ने बीस वर्ष की आयु पूरी कर ली है और अधिक उम्र का हो गया है, तो प्रतिवादी था याचिकाकर्ता को आवश्यक पाठ्यक्रम के लिए प्रतिनियुक्त नहीं करने के लिए वह दोषी नहीं है।

(3) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, मेरा विचार है कि याचिकाकर्ता निश्चित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए प्रतिनियुक्त होने का हकदार है जिसके लिए उसे पहले ही प्रतिवादी द्वारा फिट घोषित कर दिया गया है। यदि प्रशासन की अत्यावश्यकताओं में व्यस्तता के कारण अधिकारी समय पर आवश्यक निर्णय नहीं ले सके और इस बीच 43 एस.एस.सी. (एन.टी.) पाठ्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका था या लगभग समाप्त हो चुका था, याचिकाकर्ता को इस कारण कष्ट नहीं होना चाहिए। एक कल्याणकारी राज्य में, जो कानून के शासन द्वारा शासित होता है, रिट याचिका की रखरखाव या व्यवहार्यता की तकनीकीता को न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालयों की चिंता के अधीन रखा जाना चाहिए, ताकि विषयों में विश्वास की भावना पैदा हो सके। उनके द्वारा मांगा गया न्याय केवल इसलिए विफल नहीं होगा क्योंकि अधिकारियों ने उसे देने में देरी की है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भले ही कार्यकारी अधिकारियों को प्रक्रियात्मक नियमों की तकनीकीताओं में ढील देने के लिए मजबूर किया जाता है, फिर भी ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए। कार्यकारी अधिकारियों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे लोगों में विश्वास पैदा करें, न केवल उनके निर्णयों की शुद्धता के संबंध में, बल्कि उनके कार्यों की न्यायसंगतता और निष्पक्षता के संबंध में भी, विशेषकर उनके स्वयं के निर्णयों के कार्यान्वयन में। एक बार जब सर्वोच्च मेडिकल बोर्ड ने याचिकाकर्ता को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम से गुजरने के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट घोषित कर दिया था, तो नियमों और विनियमों की अन्य सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं और तकनीकीताओं को एक संयुक्त प्रयास का रास्ता देना चाहिए था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्णय को तत्परता से लागू किया गया था।

(4) इन परिस्थितियों में, यदि याचिकाकर्ता को 44 एसएससी में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो न्याय के उद्देश्य पर्याप्त रूप से पूरे होंगे। (एन.टी.) कोर्स, जो हाल ही में शुरू हुआ है या 45वां

कोर्स जो जल्द ही शुरू होने वाला है। तदनुसार रिट याचिका को लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अनुमति दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

Checked By:

Ravleen Kaur

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy,

Chandigarh